समक्ष माननीय मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी राजस्व एवं सदस्य म0प्र0

राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

नि0-71.86-I-16 प्रकरण क्र. /अपील/16

रविन्द्रसिंह आ0 श्री सरदार गरूलाल सिंह
निवासी ग्राम फीदेवाला तहसील एवं जिला फिरोजपुर
पजांब हाल मुकाम द्वारा सतविन्दर सिंह कार्तिक चौक
किले अन्दर विदिशा म0प्र0 अपीलार्थी

विरूद्व

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प कलेक्टर विदिशा
2. उप पजीयंक स्टाम्प पजींयन कार्यलय गजंबासौदा जिला विदिशा
3. श्रीमती रश्मि पत्नी स्व0 श्री राकेश खत्री
4. कु0 नेहा पुत्री स्व0 श्री राकेश खत्री
निवासी स्टेशन रोड गजंबासौदा जिला विदिशा म0प्र0 ......प्रत्यर्थीगण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम कि धारा 47–क(5) के अन्तर्गत अपील

माननीय महोदय,

अपीलार्थी विद्वान न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्र0 814/अपील/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 25/04/2016 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम र... तहसील बासौदा जिला बिदिशा स्थित खसरा क0 3/2 रकबा 3.000 हेक्टयर खसरा क0 4 रकबा 0.240 हेक्टयर, खसरा क0 5 रकबा 2.769 हेक्टयर, खसरा क0 6/4/3 रकबा 4.000 हेक्टयर में से 0.261 हेक्टयर कुल 4 किता रकबा 6.270 हेक्टयर भूमि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि का भुगतान कर प्रत्यर्थी क0 3 व 4 से क्रय कि गयी । अपीलार्थी द्वारा क्रय कि गयी उक्त भूमि का विक्रय पत्र पजींयन हेतु उप पजीयक गजंबासौदा के समक्ष पजींयन हेतु प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अप्रैल 2013 में पजींयन हेतु पर्याप्त स्टाम्प उपलब्ध नही होने के कारण अपीलार्थी द्वारा केवल रू0 4,30,000/– के स्टाम्प विक्रय पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये परन्तु आवश्यक स्टाम्प प्रस्तुत करने से पुर्व ही प्रत्यर्थी क्र0 1 ने प्रत्यर्थी क0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विवादित आदेश के द्वारा बाजार मूल्य को आधार मानते हुए मुद्रांक शुल्क रू0 13,16,282/– एवं अर्थदण्ड रू0 100/– कुल रू0 13,16,382/– जमा करने के आदेश दिये । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी जो विचाराधीन आदेश के द्वारा निरस्त कि गयी ।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि जा रही है ।

Ravinder Singh.

XXIV(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-7186-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 814/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरुद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-47-क (5) के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम रजौदा तह0 व जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा नं. 3/2 रकवा 3.00 हे., खसरा नं. 4 रकवा 0.240 हे., खसरा नं. 5 रकवा 2.769 हे., खसरा नं. 6/4/3 रकवा 4.00 हे. में से 0.261 हे. कुल किता 04 कुल रकवा 6.270 हे. प्रत्यर्थी क्र. 3 व 4 से अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई। उक्त भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी कम लगाये जाने से जिला पंजीयक द्वारा क्रय की गई भूमि पर मुद्रांक शुल्क 13,16,262/- एवं अर्थदण्ड 100/- कुल रुपये 13,16,382/- जमा कराने के आदेश पारित किए गए। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि अप्रैल 2013 में पंजीयन हेतु पर्याप्त स्टाम्प उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा केवल रु0 4,30,000/- के स्टाम्प विक्रय-पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए। इसलिए तत्समय विक्रय-पत्र का पंजीयन नहीं हो सका था। विक्रय-पत्र के पंजीयन हेतु आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अनावेदक क्र. 1 ने अनावेदक क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर वास्तविक तथ्यों पर विचार किए बिना ही आवेदक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जो कि प्रथम	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के प्रकरण पर नियमानुसार विचार किए बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में स्थित नहीं है तथा आवेदक की भूमि वेतवा नदी से लगी हुई है। आवेदक ने शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर गणना करने के उपरांत ही विक्रय-पत्र पंजीयन हेतु अनावेदक क्र0 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आपत्ति उठाई गई थी। उसका अनावेदकगण द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित साक्ष्य के अनावेदक क्र. 1 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होकर निरस्ती योग्य है। 4. अनावेदक एकपक्षीय हैं। 5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में जिला पंजीयक उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	पेश